

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड—द्वितीय, गोण्डा

पत्रांक :- 2627 -वि०वि०खं०(गो०)/

दिनांक :- 23/07/24

विषय :- निजी नकूलप प्राप्त करने हेतु।

सेवा में,

श्री अशोक कुमार सिंह
ग्राम कोयली जंगल,
जिला गोण्डा

आवदेन सं०:- 1008356362

आत्मज श्री राज बक्श सिंह
विकास खण्ड वजीरगंज

महादेय,

आपके आवेदन सं०- 1008356362 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिए 03 अश्व शक्ति (एच०पी०) तथा बत्ती के लिए 330 वॉट की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1-	सर्विस कनेक्शन चार्ज	468.00
2-	प्रतिभूति के रूप में सिक्क्यूरिटी	900.00
3-	मीटर चार्ज	872.00
4-	लाइन चार्ज	97573.00

योग :- 99,813.00

5- आपको नलकूप के कनेक्शन हेतु रुपया का व्यय भार परिषद को वहन करना होगा जो कि परिषद द्वारा इस मद से रुपये की ही स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः यदि आप बढ़ते रुपये जमा कर देते हैं तो वह 6 रुपये प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वर्षों को 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में वापस कर दिया जायेगा।

6- आपको कनेक्शन के लिए कारपोरेशन द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक पड़ने के कारण रुपया को अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थितिमें वापस नहीं किया जायेगा।

7- आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धी 33 के०वी० सब स्टेशन से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी। सामान ढुलाई के साथ कारपोरेशन का चतुर्थ श्रमिक आयेगा तथा शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगा।

8- आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईट बालू तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध करना पड़ेगा। अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यकता मात्रा में अपनी लाइन व हेतु होगा।

9- कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।

नोट :- क्रम संख्या 5, 6 तथा 7 अन्तर्गत आपके द्वारा किये गये जाने वाले खर्च भी आपको स्टीमेट में कम कर दिया गया है तथा यह शर्त रुपया प्रति 10 मीटर की दर से दी गयी है।

(क) सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिर खम्भे तक एक लाइन सपोर्ट तथा स्टे के लिये होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी। प्रति फुट सीमेन्ट 0-5 बोरी बालू 3 घन फीट मिट्टी 6 घन फीट।

(ख) आपको कार्य करने के लिए मजदूरों की जरूरत होगी। यदि आपको ऊपर लिखी शर्त मान्य हो तो आप कृपया किसी कार्य दिवस के 10 बजे से 13 बजे दोपहर तक दो गवाह सहित इस कार्यालय में पधार कर एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर करें।

1- नानजुडोशियल 100 रुपये का जनरल स्टाम्प पेपर तथा 20 पैसे का रसीदी टिकट।

2- ऊपर लिखी सब धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज के रुपये की रसीद।

3- आपका पैसा तभी जमा किया जायेगा जब कलस्टर के निम्नलिखित व्यक्ति पैसा जमा कर दें।

1-

2-

3-

आपको कनेक्शन की बिजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और वी०एण्ड एल० फार्म और मोटर डिक्लेरेशन फार्म (मोटर मुआयना व ट्रेजरी चालान सहित) अधिशासी अभियन्ता के पास जमा कर दें। तथा उसकी रसीद प्राप्त कर लें। यदि आप उपरोक्त शर्त इस पत्र के पाने के 30 दिन के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है और अरनेस्ट मनी 100/- भी जब्त हो जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक :- 2627 -वि०वि०खं०(गो०)/

/पी०एफ०

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड—प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ एवं पंचम, गोण्डा।

2- बिलिंग क्लर्क, विद्युत वितरण खण्ड—द्वितीय, गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता